

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 78/2017

राजकुमार पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी ढाणी खिचड़ान तह. सादुलशहर
जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार सादुलशहर
दिनांक 22.02.2017, 28.04.2017 व 28.07.2017

उपस्थिति:-

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपीलांट

श्री इकबालसिंह, राजकीय अधिवक्ता


निर्णय

दिनांक :- 29.09.2017

अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 22.02.2017, 28.04.2017 व 28.07.2017 के विरुद्ध पेश की है। उक्त पत्रों में अपीलांट से चक 7 के आर.डब्ल्यू के मु.नं. 41 की विवादित भूमि के सम्बन्ध में 235400/-रूपये जमा नहीं कराने के कारण विवादित भूमि को कुर्क करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक करडवाला को आदेशित किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के रूपान्तरण राशि करवा दी एवं मौका पर ईन्ट भट्टा का निर्माण शुरू कर दिया है । सहायक लेखा परीक्षक अधिकारी की एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को बिना सुने राशि वसूली एवं कुर्की के आदेश दिये है। कुर्की का आदेश जारी करने से


29/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पूर्व किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सहायक लेखा परीक्षक अधिकारी द्वारा जांच में बकाया राशि अपीलांत से वसूल योग्य होने से वसूली के आदेश दिये गये हैं जो अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं कराने पर कुर्की के आदेश दिये हैं जो उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील, तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 22.02.2017, 28.04.2017 व 28.07.2017 के विरुद्ध पेश की है जिसमें महालेखाकार राज. सरकार जयपुर द्वारा किये गये राजस्व लेखों के निरीक्षण की पालना में तहसीलदार द्वारा की जा रही वसूली को waive करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथमतः तहसीलदार के किसी आदेश के विरुद्ध अपील इस न्यायालय को श्रवणधिकार प्राप्त नहीं है। द्वितीय तहसीलदार द्वारा जारी पत्र दिनांक 22.02.2017, 28.04.2017 व 28.7.2017 महालेखाकार निरीक्षण दल द्वारा जारी तहरीर है जो सीपीसी के प्रावधानुसार किसी आदेश की परिभाषा में नहीं आते हैं। अतः इनकी अपील नहीं की जा सकती। तृतीय गुणावगुण के आधार पर भी अपीलांत द्वारा संपरिपर्तित भूमि से ज्यादा भूमि का उपयोग ईट भट्टे के लिए किया गया है यथा चक 7 के आर डब्ल्यू प.न. 93/132 मु.न. 41 में 11900 वर्गमीटर भूमि का संपरिपर्तन ईट भट्टा के लिए किया है जबकि मौके पर 23670 वर्गमीटर भूमि का ईट भट्टे का उपयोग हो रहा है जो स्वीकृत संपरिवर्तन से 11770 वर्गमीटर ज्यादा का उपयोग होने से इसे नियमितिकरण हेतु देय राशि 2,35,400/रूपये वसूल योग्य है।

अतः अपील अपीलांत क्षेत्राधिकार तहसीलदार के पत्र आदेशहीन होने तथा मौके पर स्वीकृत संपरिवर्तन से ज्यादा कृषि भूमि कर ईट भट्टे के रूप में उपयोग लेने तथा अधी. न्यायालय की पत्रावली अनुसार वसूली प्रकरण ड्राफ्ट पैरा के रूप में परिणित होने से अपील अपीलांत खारिज की जाती है।

29/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

साथ ही तहसीलदार सादुलशहर को निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण राशि वसूली कर पालना रिपोर्ट 1 माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ भेजें।



निर्णय आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[Handwritten signature]
29/9/17
(प्रिमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर